

निमां 5717/2018/रीवा/शु.प्र.०

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

म०प्र०

निगरानी क्र०/

/018

श्रीमती अमिता
पेशा 19.9.18

कानून अफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा



रमेश सिंह तनय राजमणि सिंह उम्र-58 वर्ष पेशा-खेती निवासी ग्राम डिहिया
तह० हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०.

----- आवेदक/ निगरानी कर्ता

बनाम

- 01- काशी सिंह तनय ललन सिंह उम्र-45 वर्ष
- 02- धनेश प्रताप सिंह तनय ललन सिंह उम्र-40 वर्ष
- 03- उमेश प्रताप सिंह मृत वारिसान -
 - अ- श्रीमती अनीता सिंह पत्नी स्व० उमेश प्रताप सिंह उम्र-40 वर्ष
 - ब- सत्य प्रताप सिंह तनय स्व० उमेश प्रताप सिंह उम्र-20 वर्ष
 - स- शीतल सिंह पुत्री स्व० उमेश प्रताप सिंह उम्र-18 वर्ष
- 04- चिंतामणि सिंह तनय सज्जन सिंह उम्र-42 वर्ष
- 05- नरेन्द्र सिंह तनय सज्जन सिंह उम्र-40 वर्ष
- 06- प्रीतम सिंह तनय सज्जन सिंह उम्र-35 वर्ष
- 07- सु० पार्वती सिंह पत्नी सज्जन सिंह उम्र-75 वर्ष

सभी निवासी ग्राम डिहिया तह० हुजूर, जिलारीवा, म०प्र०.

----- अना० गण/ गैर निगरानी कर्ता

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् अमर आयुक्त
महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रक० क्र० 1221/अमील/
2006-07 के आदेश तदिनाक 20.08.018 से पारित ।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू० र० अ० 1959

अमेश कुमार सिंह

(13)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0-5717/2018/रीवा/भू-रा0

जिला- रीवा

रमेश सिंह/ काशी सिंह वगैरः

(1)	(2)
18.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री संजय कुमार तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1221/अपील/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 19.09.18 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>